चौथी अनुसूची

[धारा 68(1) देखिए]

क्रम सं0	**केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध**	**संशोधन**	**संशोधन के प्रभावी होने की तारीख**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	नई धारा 57गगग का अंतःस्थापन ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57गग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "57गगग. **वास्तविक प्रत्यय का प्रत्यावर्तन**—जहां 1 सितम्बर, 1996 का प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 1997 को (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित है) समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित विवाद उस तारीख को जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लंबित हैं, वहां नियम 57ग के उपनियम (1) और उपनियम (2) तथा नियम 57गग के उपनियम (1) और उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ईंधन के रूप में प्रयुक्त अंतःनिवेशों से भिन्न किन्हीं अंतःनिवेशों की बाबत विनिर्दिष्ट शुल्क के प्रत्यय का उपभोग करने वाला और ऐसे अंतिम उत्पादों का, जो शुल्क के लिए प्रभार्य हैं और ऐसे अन्य अंतिम उत्पादों का भी जो इस प्रकार शुल्क के लिए प्रभार्य नहीं हैं या शुल्क की कुछ नहीं दर पर की रकम के लिए प्रभार्य हैं, विनिर्माण करने वाला विनिर्माता ऐसे अंतिम उत्पाद के, जो शुल्क के लिए प्रभार्य नहीं है, या शुल्क की कुछ नहीं दर से प्रभार्य है विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् संदाय करेगा : परंतु विनिर्माता माल की निकासी की तारीख से उक्त रकम के संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा ।"।	1 सितंबर, 1996 से 28 फरवरी, 1997 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) ।
2.	वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 68 द्वारा अंतःस्थापित किया गया केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 57गगग ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57गगग के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "57गगग. **वास्तविक प्रत्यय का प्रत्यावर्तन**—जहां 1 मार्च, 1997 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2000 को (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित विवाद उस तारीख को जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लंबित हैं, वहां नियम 57ग के उपनियम (1) और उपनियम (2) तथा नियम 57गग के उपनियम (1) और उपनियम (9) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ईंधन के रूप में प्रयुक्त अंतःनिवेशों से भिन्न किन्हीं अंतःनिवेशों की बाबत विनिर्दिष्ट शुल्क के प्रत्यय का उपभोग करने वाला और ऐसे अंतिम उत्पादों का, जो शुल्क के लिए प्रभार्य हैं और ऐसे अन्य अंतिम उत्पादों का भी जो इस प्रकार शुल्क के लिए प्रभार्य नहीं हैं विनिर्माण करने वाला विनिर्माता ऐसे अंतिम उत्पाद के, जो शुल्क के लिए प्रभार्य नहीं है, विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् संदाय करेगा : परंतु विनिर्माता माल की निकासी की तारीख से उक्त रकम के संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा ।"।	1 मार्च, 1997 से 31 मार्च, 2000 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) ।